





## केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRALTAX & CUSTOMS केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विशाखापद्दणम क्षेत्र CENTRAL GST VISAKHAPATNAM ZONE जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखपद्दणम

GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530 035

<u>स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं.04/2020</u> <u>Establishment Order (GO) No. 04/2020</u> दिनांक 20 मार्च, 2020 Dated 20<sup>th</sup> March, 2020

विषय :- स्थापना - मुख्य लेखा अधिकारी के संवर्ग में तैनाती - के संबंध में । Sub: Estt- Posting in the cadre of Chief Accounts Officer (CAO) - Reg.

श्री टी श्रीमन्नाराणण, मुख्य लेखा अधिकारी के विशाखापद्दनम जोन में तैनाती के संबंध में बोर्ड के कार्यालय आदेश सं. 02/2020, दिनांक 19.02.2020, मुख्य आयुक्त, जीएसटी एवं सीमा शुल्क, हैदराबाद जोन के आदेश सं.04/2020 दिनांक 17.03.2020 के साथ पठित, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री टी. श्रीमन्नाराण को गुंटुर जीएसटी आयुक्तालय में तैनाती के आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश तक के लिए किया जाता है।

Pursuant to issue of Board's Office Order No. 2/2020 dated 19.02.2020 read with Office Order No.04/2020 dated 17.03.2020 of Chief Commissioner of GST and Customs, Hyderabad Zone and regarding posting of Shri T.Srimannarayana, Chief Accounts Officer and on allotment to Visakhapatnam Zone, with the approval of the Competent Authority, Shri T.Srimannarayana is posted to Guntur GST Commissionerate with immediate effect and until further orders.

- 2. श्री टी श्रीमन्नाराणण, मुख्य लेखा अधिकारी ने मुख्य आयुक्त कार्यालय में दिनांक 19.03.2020 कियाको अपराहन कार्यमुक्त 20.03.2020 आज दिनांकको पूर्वाहन पदभार ग्रहण किया एवं उन्हेंगया। Shri T.Srimannarayana, Chief Accounts Officer joined CCO in the forenoon of 19.03.2020 and is relieved in the afternoon of today i.e 20.03.2020.
- 3. मुख्य आयुक्त, जीएसटी एवं सीमा शुल्क, हैदराबाद जोन के कार्यालय आदेश सं 2020/04 . दिनांक 17.03.2020 में दिये गये अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।

All the other terms and conditions as mentioned in Office Order No.04/2020 dated 17.03.2020 issued by Chief Commissioner of GST and Customs, Hyderabad Zone referred above remain unaltered.

4. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्ठियां की जाए । Necessary entries may be made in relevant records.

(अरविंद दास Aravinda Das)

सहायक आयुक्त Assistant Commissioner